रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05052022-235571
CG-DL-E-05052022-235571

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 324] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 5, 2022/वैशाख 15, 1944
No. 324] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 5, 2022/VAISAKHA 15, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2022

सा.का.नि. 339(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 245 थ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमो का संक्षिप्त नाम आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम 1962 (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 44ङ में,–

(I) उपनियम (1) में 'चार प्रतियों में'' शब्दों का लोप किया जाएगा;

(II) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखे जाएगें, अर्थात्:-

''(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन, उसके साथ उपाबद्ध सत्यापन, उक्त आवेदनपत्र के उपाबंध और उपाबंध के साथ लगाए जाने वाले निम्नलिखित विवरण और दस्तावेज होंगे,-

(क) किसी व्यष्टि के मामले में,-

(I) अंकीय हस्ताक्षरित, यदि उसे इन नियमो के अधीन अंकीय हस्ताक्षर के अधीन अपनी विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है,--

(i) स्वयं व्यष्टि द्वारा;

(ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से व्यक्ति द्वारा आवेदनपत्र पर हस्ताक्षार किए जाने संभव न हों, वहां इस निमित्त उसके द्वारा सम्यक्त: प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा:

परन्तु यह कि उपखंड (ii) में निर्दिष्ट मामले में आवेदनपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पास ऐसा करने के लिए उस व्यक्ति से प्राप्त विधिमान्य मुख्तारनामा होना चाहिए और उसे आवेदनपत्र के साथ संलग्न किया जाएगा;

(।।) अन्य मामले में, उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से संसूचित किया जाएगा।

(ख) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में,-

(।) अंकीय रूप से हस्ताक्षरित, यदि उसे इन नियमो के अधीन अंकीय हस्ताक्षर के अधीन अपनी विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है,--

(i) उसके कर्त्ता द्वारा; और

(ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से कर्त्ता द्वारा आवेदनपत्र पर हस्ताक्षर किए जाने संभव न हों, वहां कुटुम्ब के किसी अन्य वयस्क सदस्य द्वारा;

(।।) अन्य मामले में, उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से संसूचित किया जाएगा ।

(ग) किसी कंपनी की दशा में अंकीय रूप से हस्ताक्षरित,-

(i) उसके प्रबंध निदेशक द्वारा या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसे प्रबंध निदेशक के लिए आवेदन हस्ताक्षरित और सत्यापित करना संभव न हो, या जहां कोई प्रबंध निदेशक न हो, वहां उसके किसी निदेशक द्वारा;

(ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से प्रबंध निदेशक या निदेशक के लिए आवेदनपत्र पर हस्ताक्षर करना संभव न हो वहां इस निमित्त कंपनी द्वारा सम्यक्त: प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा;

परन्तु यह कि उपखंड (ii) में निर्दिष्ट मामले में, आवेदनपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पास ऐसा करने के लिए कंपनी से प्राप्त विधिमान्य मुख्तारनामा होना चाहिए और उसे आवेदनपत्र के साथ लगाया जाएगा;

(घ) फर्म की दशा में,

(।) अंकीय रूप से हस्ताक्षरित, यदि उसे इन नियमो के अधीन अंकीय हस्ताक्षर के अधीन अपनी आप की विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है,--

(i) उसके प्रबंध भागीदार द्वारा और

(ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसे प्रबंध भागीदार द्वारा आवेदनपत्र हस्ताक्षरित या सत्यापित किया जाना संभव न हो या जहां कोई प्रबंध भागीदार ही न हो, वहां उसके किसी भी ऐसे भागीदार द्वारा जो अवयस्क न हो;

(।।) अन्य मामले में, उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से संसूचित किया जाएगा।

(ङ) व्यक्तियों के किसी संगंम की दशा में,-

(।) अंकीय रूप से हस्ताक्षरित, यदि संगंम का कोई व्यक्ति या उसके प्रधान अधिकारी द्वारा अंकीय हस्ताक्षर के अधीन उसकी आय की विवरणी प्रस्तुत करना इन नियमों के अधीन अपेक्षित है या

(।।) अन्य मामले में, उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से संसूचित किया जाएगा;

(च) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में,-

(।) अंकीय रूप से हस्ताक्षरित, यदि उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम किन्ही अन्य व्यक्ति द्वारा अंकीय हस्ताक्षर के अधीन अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करना इन नियमों के अधीन अपेक्षित हैं या

(।।) अन्य मामले में, उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से संसूचित किया जाएगा।'';

3. उक्त नियम में, उपाबंध 2 में ''प्ररूप संख्या 34 ग से प्ररूप संख्य 34 ङक'' प्ररूपो के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखें जाएगें, अर्थात् :-

"प्ररूप सं. 34ग

[नियम 44ङ देखिए]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 245थ(1) के अधीन कोई अग्रिम विनिर्णय अभिप्राप्त करने के लिए

[*अनिवासी आवेदक के संबंध में आवेदन का प्ररूप*]

(कृप्या इस प्ररूप को भरने से पूर्व टिप्पणियों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें)

अग्रिम विनिर्णय के प्राधिकारी के समक्ष

.... का आवेदन सं...............

1.	आवेदक का पूरा नाम और पता	
2.	टेलीफोन, फैक्स नं और ई-मेल पता	
3.	वह देश, जिसका वह निवासी है	
4.	प्रास्थिति	
5.	अनिवासी होने के लिए दावे का आधार	
6.	आवेदक पर अधिकारिता रखने वाला आयुक्त (केवल विद्यमान निर्धारितियों की दशा में)	
7.	स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्या (केवल विद्यमान निर्धारितियों की दशा में)	
8.	उस संव्यवहार से संबंधित प्रश्न, जिसके (जिनक) संबंध में अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है।	
9.	उपर्युक्त प्रश्न (प्रश्नों) से संबंद्ध सुसंगत तथ्यों का विवरण	
10.	उपर्युक्त प्रश्न (प्रश्नों) के संबंध में आवेदक के, यथास्थिति, विधि या तथ्यों के निर्वचन वाला विवरण	
11.	संलग्न दस्तावेजों या विवरणों की सूची	
12.	आवेदन के साथ संलग्न, पाने वाले के खाते में देय डिमांड ड्राफ्ट की विशिष्टियां	
13.	भारत में प्राधिकृत प्रतिनिधि का, यदि कोई हो, नाम और पता	
14.	कर दाता रजिस्ट्रीकरण संख्यांक या कर दाता पहचान संख्यांक या प्रकार्य समतुल्य या उस देश की सरकार द्वारा पहचान के लिए उपयुक्त कोई यूनिक संख्यांक या वह विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र, जिसका आवेदक निवासी होने का दावा करना है।	

15.	आवेदक की मूल कंपनी या कंपनियों की विशिष्टियां :	
(क)	आवेदक की तत्काल मूल कंपनी का नाम	
(ख)	आवेदक की तत्काल मूल कपंनी का पता	
(ग)	आवेदक की तत्काल मूल कंपनी के वास स्थान का देश	
(घ)	आवेदक की तत्काल मूल कंपनी का स्थाई खाता संख्या (यदि आबंटित की गई हो)	
(ङ.)	कर दाता रजिस्ट्रीकरण संख्यांक या कर दाता पहचान संख्यांक या प्रकार्य समतुल्य या उस देश की सरकार द्वारा आवेदक की तत्काल मूल कंपनी की पहचान के लिए उपयुक्त कोई यूनिक संख्यांक या वह विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र, जिसका वह निवासी होने का दावा करता है ।	
(च)	आवेदक की क्रमांतिम मूल कंपनी का नाम	
(छ)	आवेदक की क्रमांतिम मूल कंपनी का पता	
(ज)	ओवदक की क्रमांतिम मूल कंपनी के वास स्थान का देश	
(झ)	ओवदक की क्रमांतिम मूल कंपनी का स्थाई खाता संख्या (यदि आबंटित की गई हो)	
(ञ)	कर दाता रजिस्ट्रीकरण संख्यांक या कर दाता पहचान संख्यांक या प्रकार्य समतुल्य या उस देश की सरकार द्वारा आवेदक की क्रमांतिम मूल कपंनी की पहचान के लिए उपयुक्त कोई यूनिक संख्यांक या वह विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र, जिसका वह निवासी होने का दावा करता है ।	

....

(आवेदक)

सत्यापन

मैं, ..., पुत्र/पुत्री/पत्नी [पूरा नाम, स्पष्ट अक्षरों में] श्री... एतदद्वारा सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर और उपाबंधों) में जिसके अंतर्गत ऐसे उपाबंध (उपाबंधों) के साथ संलग्न दस्तावेज भी हैं, जो कथन किया गया है, वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है । मैं यह और घोषणा करता हूं कि मैं, ... (पदनाम) के रूप में अपनी हैसियत में यह आवेदन कर रहा हूं और मै यह आवेदन करने और इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं ।

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि वह प्रश्न, जिस पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है, मेरे मामले में किसी आय-कर प्राधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है।

आज तारीख...................................को सत्यापित किया गया ।

....

(आवेदक)

स्थान :.....................

टिप्पण :

1. यह आवेदन अंग्रेजी या हिन्दी में भरा जाए।
2. आवेदन का संख्यांक और प्राप्ति की तारीख अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के कार्यालय में भरा जाएगा।
3. आवेदन के साथ नई दिल्ली में संदेय, अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के पक्ष में लिखा दो हज़ार पांच सौ भारतीय रुपए का पाने वाले के खाते में देय डिमांड ड्राफ्ट दिया जाए। मद 12 के उत्तर में ड्राफ्ट की विशिष्टियां दी जानी चाहिएं।
4. मद सं. 3 के उत्तर में, यदि आपवेदक कोई कंपनी, व्यक्ति-संगम या हिन्दू अविभक्त कुटुंब, आदि है तो, उसके निवास के देश का नाम दिया जाना है, नाकि ऐसे व्यक्ति का, जो उस व्यक्ति की ओर से आवेदन फाइल कर रहा है।
5. मद सं. 4 के उत्तर में, आवेदक यह बताए कि क्या वह यह व्यष्टि हिन्दू अविभक्त कुटुंब, फर्म, व्यक्ति-संगम या कंपनी है।
6. मद सं. 5 के लिए उत्तर आय-कर अधिनियम की धारा 6 में यथाअन्तर्विष्ट भारत में 'निवास' से संबंधित उपबंधों के सदंर्भ में दिया जाए। इस संबंध में स्थिति निम्नानुसार है:

   किसी व्यक्ति को किसी वित्तीय वर्ष में 'निवासी' तब कहा जाता है, जब यदि वह उस वर्ष के दौरान निम्नानुसार भारत में रहा है:-

   - 182 दिन या अधिक की अवधि या अवधियों के लिए; या
   - 60 दिन या अधिक की अवधि या अवधियों के लिए और वह पूर्ववर्ती चार वर्षों में 365 दिन या अधिक की अवधि या अवधियों के लिए भी भारत में रहा है।

तथापि, किसी भारत के नागरिक या कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत के बाहर रह रहा है और भारत भ्रमण के लिए आता है या जब कोई भारत का नागरिक भारत के बाहर नियोजन के प्रयोजन के लिए या किसी भारतीय पोत के कर्मीदल के सदस्य के रूप में भारत छोडता है, की दशा में 60 दिनों की अवधि को बढाकर 182 दिन कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, या भारतीय मूल का व्यक्ति है, जो भारत के बाहर है और भारत भ्रमण के लिए आता है तो उपर्युक्त उल्लिखित 60 दिन की अवधि को बढाकर 120 दिन कर दिया गया है, यदि सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान ऐसे व्यक्ति की कुल आय विदेशी स्रोत से आय के सिवाय 15 लाख से अधिक है।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त उल्लिखित दशाओं पर विचार के बिना कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, जिसकी कुल आय विदेशी स्रोत से आय के सिवाय 15 लाख से अधिक है, निवासी समझा जाएगा यदि वह अपने अधिवास या निवास या किसी अन्य मानदंड के कारण किसी देश या संघ राज्य क्षेत्र में कर के लिए दायी नहीं है।

कोई कंपनी भारत में निवासी है, यदि यह काई भारतीय कंपनी है या उसके कार्यो का नियंत्रण और प्रबंध पूर्णतया भारत में स्थित है । ऐसा कोई व्यक्ति, जो उपरोक्तानुसार भारत में निवासी नहीं है, भारत में अनिवासी है।

कोई व्यक्ति-संगम या हिन्दू अविभक्त कुटुंब प्रत्येक दशा में भारत में निवासी है सिवाय वहां के जहां उसके कार्यों का नियंत्रण और प्रबंध पूर्णतया भारत के बाहर स्थित है।

कोई कंपनी भारत में निवासी है, यदि यह कोई भारतीय कंपनी है या उसके कार्यों का नियंत्रण और प्रबंध पूर्णतया में स्थित है।

ऐसा कोई व्यक्ति, जो उपरोक्तानुसार भारत में निवासी नहीं है, भारत में अनिवासी है।

7. मद सं. 8 के संबंध में, प्रश्न, वास्तविक या प्रस्थापित संव्यवहारों पर आधारित होना चाहिए (होने चाहिएं) परिकल्पित प्रश्नों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

8. मद सं. 9 के संबंध में, उपाबंध 1 में आवेदक सुसंगत तथ्यों को व्यौरेवार बताए और अपने कारबार या वृत्ति की प्रकृति और प्रस्थापित संव्यवहारों की संभावित तारीख और प्रयोजन को भी प्रकट करे। आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में प्रदर्शित सुसंगत तथ्यों को, तथ्यों के विवरण में सम्मिलित किया गया हो, न कि मात्र निर्देश द्वारा समाविष्ट किए गए हो।

9. मद सं. 10 के लिए, उपाबंध 2 में, आवेदक उस प्रश्न (उन प्रश्नों) की बाबत, जिस (जिन) के संबंध में अग्रिम विनिर्णय चाहा गया है, विधि या तथ्यों के अपने निर्वचन का स्पष्टरूप से उल्लेख करे ।

10. आवेदन, उससे उपाबद्ध सत्यापन, आवेदन के लिए उपाबंधों और उपाबंधों के साथ दिए जाने वाले निम्नलिखित विवरणों और दस्तावेजों,-

(क) व्यष्टि की दशा में,--

(I) डिजिटल रूप, यदि उससे इन नियमों के अधीन डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन उसकी आय-कर विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित किया जाए

(i) व्यष्टि के स्वयं के द्वारा; और

(ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से किसी व्यष्टि के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, तो इस संबंध में उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा से हस्ताक्षरित किया जाएगा; या

परंतु उपखंड (*ii*) में निर्दिष्ट दशा में आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति ऐसा करने के लिए कंपनी से विधिमान्य मुख्तारनामा धारित करेगा, जो आवेदन से संलग्न होगा;

(II) किसी अन्य दशा में उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से संसूचित किया जाए;

(ख) अविभक्त हिंदू कुटुंब की दशा में,–

(I) डिजिटल रूप, यदि उससे इन नियमों के अधीन डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन उसकी आय-कर विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित किया जाए

(i) कर्ता के स्वयं के द्वारा; और

(ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से किसी कर्ता के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, इस संबंध में उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, हस्ताक्षरित किया जाएगा; या

(II) किसी अन्य दशा में उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से संसूचित किया जाए;

(ग) कंपनी की दशा में,–

(i) उसके प्रबंध निदेशक द्वारा या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबंध निदेशक आवेदन पर हस्ताक्षर करने और सत्यापन करने में समर्थ नहीं है या उसका कोई प्रबंध निदेशक नहीं है, वहां उसके किसी निदेशक द्वारा;

(ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से किसी प्रबंध निदेशक या निदेशक के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, इस संबंध में कंपनी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, हस्ताक्षरित किया जाए:

परंतु उपखंड (ii) में निर्दिष्ट दशा में आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति ऐसा करने के लिए कंपनी से विधिमान्य मुख्तारनामा धारित करेगा, जो आवेदन से संलग्न होगा;

(घ) फर्म की दशा में,–

(I) डिजिटल रूप, यदि उससे इन नियमों के अधीन डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन उसकी आय-कर विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित किया जाए

(i) प्रबंध भागीदार के स्वयं के द्वारा; और

(ii) उसके प्रबंध भागीदार द्वारा या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबंध भागीदार आवेदन पर हस्ताक्षर करने और सत्यापन करने में समर्थ नहीं है या उसका कोई प्रबंध भागीदार नहीं है, वहां उसके किसी भागीदार द्वारा, हस्ताक्षरित किया जाएगा, जो अवयस्क नहीं हो;

(II) किसी अन्य दशा में उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से संसूचित किया जाए;

(ङ) व्यक्तियों के संगम की दशा में,-

(I) डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा, यदि संगम के किसी सदस्य द्वारा या उसके प्रधान अधिकारी द्वारा इन नियमों के अधीन डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन उसकी आय-कर विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित किया जाए

(II) किसी अन्य दशा में उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से संसूचित किया जाए;

(च) किन्हीं अन्य व्यक्तियों की दशा में,-

(I) डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा, यदि उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम किन्हीं व्यक्तियों द्वारा इन नियमों के अधीन डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन उसकी आय-कर विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित किया जाए; या

(II) किसी अन्य दशा में उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से संसूचित किया जाए;

उपाबंध 1

उन सुसंगत तथ्यों का विवरण जिनका उन प्रश्नों से संबंध है जिन पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है

....

....

....

स्थान................ *(आवेदक)*
तारीख................

उपाबंध 2

प्रश्न जिस पर/जिन पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है, की बाबत् आवेदक के यथास्थिति, विधि या तथ्यों के निर्वचन को अतर्विष्ट करते हुए कथन

....

....

....

स्थान................ *(आवेदक)*
तारीख................

प्ररूप सं. 34घ

[नियम 44ङ देखें]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 245थ (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय प्राप्त करने के लिए [अनिवासी आवेदक द्वारा आवेदन का प्ररूप]

(कृपया, इस प्ररूप को भरने से पहले सावधानीपूर्वक टिप्पणियों को पढ़ें)

. ... की आवेदन सं. ....

1. आवेदक का पूरा नाम और पता	
2. टेलीफोन, फैक्स नं. और ई-मेल पता	
3. प्रास्थिति	
4. आवेदक पर अधिकारिता रखने वाला आयुक्त और निर्धारण अधिकारी	
5. स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या	
6. ऐसे अनिवासी की विशिष्टियां, जिसके साथ संव्यवहार किया गया है या किया जाना प्रस्तावित है	
(क) अनिवासी का नाम	
(ख) अनिवासी का पता	
(ग) अनिवासी की टैलीफोन और फैक्स संख्या	
(घ) अनिवासी का स्थायी खाता संख्या (यदि आबंटित किया गया हो)	
(ङ) करदाता रजिस्ट्रीकरण संख्या या करदता पहचान संख्या/ उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र जिसका निवासी होने का दावा किया जाता है, की सरकार द्वारा अनिवासी की पहचान के लिए प्रयुक्त कोई कृत्यकारी समतुल्य या अन्य विशिष्ट संख्या	

(च) अनिवासी की अव्यवहित मूल कंपनी का नाम	
(छ) अनिवासी की अव्यवहित मूल कंपनी का पता	
(ज) अनिवासी की अव्यवहित मूल कंपनी का ग्राम्य निवास	
(झ) अनिवासी की अव्यवहित मूल कंपनी का स्थायी खाता संख्या (यदि आबंटित किया गया हो)	
(ञ) करदाता रजिस्ट्रीकरण संख्या या करदता पहचान संख्या/कृत्यकारी समतुल्य या उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र जिसका निवासी होने का दावा किया जाता है, की सरकार द्वारा अनिवासी की पहचान के लिए प्रयुक्त कोई अन्य विशिष्ट संख्या	
(ट) अनिवासी की अंतिम मूल कंपनी का नाम	
(ठ) अनिवासी की अंतिम मूल कंपनी का पता	
(ड) अनिवासी की अंतिम मूल कंपनी का ग्राम्य निवास	
(ढ़) अनिवासी की अव्यवहित मूल कंपनी का स्थायी खाता संख्या (यदि आबंटित किया गया हो)	
(ण) करदाता रजिस्ट्रीकरण संख्या या करदता पहचान संख्या/ उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र जिसका निवासी होने का दावा किया जाता है, की सरकार द्वारा अनिवासी की पहचान के लिए प्रयुक्त कोई कृत्यकारी समतुल्य या अन्य विशिष्ट संख्या;	
7. दावे का आधार यह कि क्रम संख्यांक 6 में निर्दिष्ट व्यक्ति जिससे संव्यवहार किया गया है या किया जाना प्रस्तावित है, अनिवासी है	

8. किए गए संव्यवहार या किए जाने के लिए प्रस्तावित संव्यवहार जिस पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है, से संबंधित विधि या तथ्य का प्रश्न

9. पूर्वोक्त प्रश्नों पर प्रभाव डालने वाले सुसंगत तथ्यों का विवरण

10. उपरोक्त प्रश्नों की बाबत आवेदक का यथास्थिति विधि या तथ्यों के निर्वचन को अंतर्विष्ट करने वाला विवरण

11. संलग्न दस्तावेजों या विवरणों की सूची

12. आवेदन से संलग्न पाने वाले के खाते में देय मांग देय ड्राफ्ट की विशिष्टियां

....

(आवेदक)

सत्यापन

मैं, ... पुत्र/पुत्री/पत्नी [पूरा और बड़े अक्षरों में नाम] सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त और उपाबद्ध (उपाबंधों), जिसके अंतर्गत ऐसे उपाबंध(उपाबंधों) से संलग्न दस्तावेज भी हैं, के विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है । मैं यह और घोषणा करता हूँ कि मैं .... (पदनाम) की क्षमता में यह आवेदन कर रहा हूं और मैं यह आवेदन करने के लिए सक्षम हूँ और इसका सत्यापन करता हूँ

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि ऐसा प्रश्न जिस पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है, मेरे मामले में किसी आय-कर प्राधिकारी, अपीली अधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है ।

आज तारीख...............................को सत्यापित किया गया है ।

(आवेदक)

स्थान*.............*

टिप्पण:

1. आवेदन अंग्रेजी या हिंदी में भरा जाएगा।
2. आवेदन प्राप्ति की संख्या और वर्ष अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के कार्यालय में भरा जाएगा।

3. आवेदन के साथ नई दिल्ली में संदेय अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के पक्ष में दो हजार पांच सौ भारतीय रुपयों के दो पाने वाले के खाते में देय मांग देय ड्राफ्ट संलग्न हो। ड्राफ्ट की विशिष्टियां मद संख्या 12 के प्रत्युत्तर में दी जाएगी।

4. मद संख्या 3 के प्रत्युत्तर में आवेदक यह कथन करेगा कि वह या तो व्यष्टि, अविभक्त हिंदू कुटुंब, फर्म, व्यक्तियों का संगम या कंपनी है।

5. मद संख्या 6 के लिए आय-कर अधिनियम की धारा 6 में यथा अंतर्विष्ट भारत में 'निवासी' से संबंधित उपबंधों के संदर्भ में प्रत्युत्तर दिया जाएगा। इस संबंध में स्थिति निम्नानुसार है:

किसी व्यष्टि को किसी वित्तीय वर्ष में 'निवासी' कहा जाएगा, यदि वह उस वर्ष के दौरान भारत में:

- 182 दिन या अधिक की अवधि या अवधियों के लिए; या

- 60 दिन या अधिक की अवधि या अवधियों के लिए रहा हो पूर्ववर्ती चार वर्षों में 365 दिन या अधिक की अवधि या अवधियों के लिए भी भारत में रहा हो।

हालांकि भारत के नागरिक या भारतीय मूल के किसी व्यक्ति जो भारत से बाहर है और भारत में भ्रमण के लिए आता है या भारत का नागरिक जो भारत के बाहर नियोजन के प्रयोजनों के लिए या भारतीय पोत में कर्मीदल के सदस्य के रूप में भारत को छोड़ देता है की दशा में 60 दिन की अवधि को 182 दिन तक बढ़ा दिया गया है । इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या भारतीय मूल का व्यक्ति है, जो भारत के बाहर हो और भारत में भ्रमण के लिए आता हो, तो उपरोक्त उल्लिखित 60 दिन की अवधि को 120 दिन में बढ़ा दिया जाएगा, यदि ऐसे व्यक्ति की विदेशी स्रोतों से आय से भिन्न कुल आय सुसंगत पूर्व के दौरान 15 लाख रुपए से अधिक हो।

इसके अतिरिक्त यह और भी कि उपरोक्त उल्लिखित शर्तों पर ध्यान दिए बिना कोई व्यष्टि जो भारत का नागरिक है और उसकी विदेशी स्रोत से आय से भिन्न आय 15 लाख रुपए से अधिक है, वह निवासी समझा जाएगा, यदि वह उसके अधिवास या निवास या किसी अन्य मानदंड के कारण किसी अन्य देश या राज्यक्षेत्र में कर के लिए दायी नहीं है।

व्यक्तियों का संगम या हिंदू अविभक्त कुटुंब प्रत्येक दशा में भारत का निवासी होगा उस दशा के सिवाय जहां उसके कार्यों का नियंत्रण और प्रबंधन पूरी तरह भारत के बाहर अवस्थित है।

कोई कंपनी भारत में निवासी होगी, यदि वह एक भारतीय कंपनी है और उसके प्रभावी प्रबंधन का स्थान पूर्णतया भारत में अवस्थित है।

कोई व्यक्ति जो उपरोक्तानुसार भारत में अनिवासी है, वह अनिवासी भारतीय होगा।

7. मद संख्या 8 के संबंध में प्रश्न वास्तविक या प्रस्तावित संव्यवहारों पर आधारित होगा (होंगे) । अनुमानित प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा।

8. मद संख्या 9 की बाबत, उपाबंध 1 में आवेदक सुसंगत तथ्यों का ब्यौरा देगा और अपने कारबार या वृत्ति की प्रकृति का और प्रस्तावित संव्यवहार (संव्यवहारों) की संभाव्य तारीख और प्रयोजन भी प्रकटन करेगा । आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रकटित सुसंगत तथ्यों को तथ्यों के कथन में सम्मिलित किया जाएगा और केवल संदर्भ के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

9. मद संख्या 10 के लिए उपाबंध 2 में आवेदक अपने विधि के निर्वचन या ऐसे प्रश्न (प्रश्नों) जिन पर अग्रिम विनिर्णय चाहा गया है, की बाबत तथ्यों को स्पष्ट रूप से वर्णित करेगा ।

10. आवेदन, उससे संलग्न सत्यापन, आवेदन और विवरणों के उपाबंधों और उपाबंधों से संलग्न दस्तावेज इस प्रकार से है,-

(क) व्यष्टि के मामले में,-

(I) अंकीय रूप से चिंहनांकित, यदि उसे अंकीय हस्ताक्षर के अधीन आय की अपनी विवरणी देना इन नियमों के अधीन अपेक्षित हो –

(i) व्यष्टि स्वयं द्वारा; और

(ii) जहां, किसी अपिरहार्य कारण से, किसी व्यष्टि के लिए आवेदन में हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, इस संबंध में उसके द्वारा सम्यक् प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ;

परंतु उपखंड (ii) में संदर्भित मामले में, आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पास ऐसा करने के लिए व्यष्टि से विधिपूर्ण मुख्तारनामा रखता है, जिसे आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा ; या

(II) किसी अन्य मामले में, अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता के माध्यम से संसूचित करेगा ;

(ख) हिंदु अविभक्त परिवार के मामले में,-

(I) अंकीय रूप से चिंहनांकित, यदि उसे अंकीय हस्ताक्षर के अधीन आय की अपनी विवरणी देना इन नियमों के अधीन अपेक्षित हो–

(i) उसके कर्ता द्वारा; और

(ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से, कर्ता के लिए आवेदन में हस्ताक्षर करना संभव नहीं है ऐसे परिवार के किसी अन्य वयस्क सदस्य द्वारा; या

(II) किसी अन्य मामले में, अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता के माध्यम से संसूचित करेगा ;

(ग) कंपनी के मामले में, अंकीय रुप से हस्ताक्षरित,-

(i) उसके प्रबंध निदेशक द्वारा, या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसे प्रबंध निदेशक आवेदन में हस्ताक्षर और सत्यापन करने के योग्य नहीं हैं, या जहां कोई प्रबंध निदेशक नहीं हैं ; उसके किसी निदेशक द्वारा ;

(ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से, प्रबंध निदेशक या निदेशक के लिए आवेदन में हस्ताक्षर करना संभव नहीं है इस संबंध में कंपनी द्वारा सम्यक् प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ;

परंतु उपखंड (ii) के संदर्भित मामले में, आवेदन पर हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति के पास ऐसा करने के लिए कंपनी से विधिपूर्ण मुख्तारनामा रखता है, जिसे आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा ; या

(घ) फर्म के मामले में,

(I) अंकीय रुप से चिंहनांकित, यदि उसे अंकीय हस्ताक्षर के अधीन आय की अपनी विवरणी देना इन नियमों के अधीन अपेक्षित हो –

(i) उसके प्रबंध भागीदार द्वारा ; और

(ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से, ऐसा प्रबंध भागीदार आवेदन में हस्ताक्षर या सत्यापित करने के योग्य नहीं है, या जहां ऐसा कोई प्रबंध भागीदार नहीं है, उसके किसी भागीदार द्वारा, जो अवयस्क न हो ;

(II) किसी अन्य मामले में, अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता के माध्यम से संसूचित करेगा ;

(ङ.) व्यक्तियों के संगम के मामले में,--

(I) अंकीय रुप से चिन्हनांकित, यदि वह उसके किसी संगम के सदस्य या प्रधान अधिकारी द्वारा अंकीय हस्ताक्षर के अधीन आय की अपनी विवरणी देना इन नियमों के अधीन अपेक्षित हो ; या

(II) किसी अन्य मामले में, अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता के माध्यम से संसूचित करेगा ;

(च) किसी अन्य व्यक्ति के मामले में,--

(I) अंकीय रुप से चिन्हनांकित, यदि वह उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से काम करने के लिए कुछ सक्षम व्यक्ति द्वारा ; या

(II) किसी अन्य मामले में, अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता के माध्यम से संसूचित करेगा ;

उपाबंध 1

उन सुसंगत तथ्यों का विवरण जिनका उस प्रश्न (प्रश्नों) से संबंध है, जिन पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है

..

..

....

(आवेदक)

स्थान.............

तारीख...............

उपाबंध 2

प्रश्न (प्रश्नों) जिन पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है, की बाबत आवेदक के यथास्थिति, विधि या तथ्यों के निर्वचन को अंतर्विष्ट करते हुए कथन

..

..

....

(आवेदक)

स्थान.............

तारीख...............

प्ररुप सं. 34घक

[नियम 44ङ. देखें]

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 245 घ (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय प्राप्त करने के लिए [अनिवासी आवेदक द्वारा आवेदन का प्ररुप]

(कृपया इस प्ररुप को भरने से पहले टिप्पणों को ध्यानपूर्वक पढ़ें)

अग्रिम विनिर्णय के लिए बोर्ड के समक्ष

...........की आवेदन सं............

1.	आवेदन का पूरा नाम और पता	
2.	टेलीफोन फैक्स नं और ई-मेल पता	
3.	प्रास्थिति	

4. आवेदक के ऊपर अधिकारिता रखने वाले आयुक्त और निर्धारण अधिकारी

5. स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या

6. उस व्यक्ति का नाम, पता, टेलीफोन या फैक्स नंबर और ई-मेल पता, जिसके साथ संव्यवहार किया गया है या संव्यवहार किया जाना प्रस्तावित है।

7. किए गए या किए जाने के लिए प्रस्तावित संव्यवहार से संबंधित विधि या तथ्य के प्रश्नों जिस पर अग्रिम विनिर्णय आपेक्षित है

8. पूर्वोक्त तथ्यों पर प्रभाव डालने वाले सुसंगत तथ्यों का विवरण

9. पूर्वोक्त प्रश्नों के संबंध में, यथास्थिति विधि या तथ्यों के निर्वचन को अंतर्विष्ट करने वाले विवरण

10. क्या उठाए गए प्रश्न पर न्यायालय का कोई विनिश्चय है जिस पर विनिर्णय आवश्यक है यदि हां, तो ऐसे सुसंगत विनिश्चयों की सूची दें।

11. संलग्न दस्तावेजों या विवरणों की सूची

12. आवेदक से संलग्न पाने वाले के खाते में मांग देय ड्राफ्ट की विशिष्टियां

....

(हस्ताक्षर)

(आवेदक)

स्थान.............

सत्यापन

मैं,..पुत्र/पुत्री/पत्नी [पूरा और बड़े अक्षरों में नाम] सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं कि उपरोक्त में और उपाबंध (उपाबंधों), जिसके अंतर्गत ऐसे उपाबंध (उपाबंधों) से संलग्न दस्तावेज भी हैं, के विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं । मैं यह और घोषणा करता हूं कि मैं..(पदनाम) की क्षमता में यह आवेदन कर रहा हूं और मैं यह आवेदन करने के लिए सक्षम हूं और इसका सत्यापन करता हूं।

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि ऐसा प्रश्न जिस पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित हैं, मेरे मामले में किसी आय कर प्राधिकारी, अपीली आधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है।

आज तारीख ....को सत्यापित किया गया है ।

....

(हस्ताक्षर)

(आवेदक)

स्थान.............

टिप्पण :

1. आवेदन अंग्रेजी या हिंदी मे भरा जाए।
2. आवेदन प्राप्ति की संख्या और वर्ष अंग्रिम विनिर्णय बोर्ड के कार्यालय में भरा जाएगा।
3. आवेदन के साथ नई दिली में संदेय अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के पक्ष में दो हजार पांच सौ भारतीय रुपयों के पाने वाले के खाते में देय मांग देय ड्राफ्ट संलग्न हो। ड्राफ्ट की विशिष्टियां मद संख्या 12 के प्रत्युत्तर में दी जाएगी।
4. मद संख्या 3 के प्रत्युत्तर में आवेदक यह कथन करेगा कि क्या वह व्यष्टि, अविभक्त हिंदू कुटुंब, फर्म, व्यक्तियों का संगम या कंपनी है।
5. मद संख्या 6 के संबंध में प्रश्न वास्तविक या प्रस्तावित संव्यवहारों पर आधारित होगा (होंगे) । अनुमानित प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा।

8. मद संख्या 7 की बाबत, उपाबंध 1 में आवेदक सुसंगत तथ्यों का ब्यौरा देगा और अपने कारबार या व्यक्ति की प्रकृति का और प्रस्तावित संव्यवहारों की संभाव्य तारीख और प्रयोजन भी प्रकटन करेगा । आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रकटित सुसंगत तथ्यों को तथ्यों के कथन में सम्मिलित किया जाएगा और केवल संदर्भ के रुप में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

9. मद संख्या 8 के लिए उपाबंध 2 में आवेदक अपने विधि के निर्वचन या ऐसे प्रश्न (प्रश्नों) जिन पर अग्रिम विनिर्णय चाहा गया है, की बाबत तथ्यों को स्पष्ट रुप से वर्णित करेगा।

10. आवेदन, उससे संलग्न सत्यापन, आवेदन और विवरणों के उपाबंधों और उपाबंधों से संलग्न दस्तावेज इस प्रकार से है,-

(क) व्यष्टि के मामले में,-

(I) अंकीय रूप से चिंहनांकित, यदि उसे अंकीय हस्ताक्षर के अधीन आय की अपनी विवरणी देना इन नियमों के अधीन अपेक्षित हो –

(i) व्यष्टि स्वयं द्वारा ; और

(ii) जहां, किसी अपिरहार्य कारण से, किसी व्यष्टि के लिए आवेदन में हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, इस संबंध में उसके द्वारा सम्यक् प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ;

परंतु उपखंड (ii) में संदर्भित मामले में, आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पास ऐसा करने के लिए व्यष्टि से विधिपूर्ण मुख्तारनामा रखता है, जिसे आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा ; या

(II) किसी अन्य मामले में, अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता के माध्यम से संसूचित करेगा ;

(ख) हिंदु अविभक्त परिवार के मामले में,-

(I) अंकीय रूप से चिंहनांकित, यदि उसे अंकीय हस्ताक्षर के अधीन आय की अपनी विवरणी देना इन नियमों के अधीन अपेक्षित हो –

(i) उसके कर्ता द्वारा ; और

(ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से, कर्ता के लिए आवेदन में हस्ताक्षर करना संभव नहीं है ऐसे परिवार के किसी अन्य वयस्क सदस्य द्वारा ; या

(II) किसी अन्य मामले में, अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता के माध्यम से संसूचित करेगा ;

(ग) कंपनी के मामले में, अंकीय रुप से हस्ताक्षरित,-

(i) उसके प्रबंध निदेशक द्वारा, या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसे प्रबंध निदेशक आवेदन में हस्ताक्षर और सत्यापन करने के योग्य नहीं हैं, या जहां कोई प्रबंध निदेशक नहीं हैं ; उसके किसी निदेशक द्वारा ;

(ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से, प्रबंध निदेशक या निदेशक के लिए आवेदन में हस्ताक्षर करना संभव नहीं है इस संबंध में कंपनी द्वारा सम्यक् प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ;

परंतु उपखंड (ii) के संदर्भित मामले में, आवेदन पर हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति के पास ऐसा करने के लिए कंपनी से विधिपूर्ण मुख्तारनामा रखता है, जिसे आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा ; या

(घ) फर्म के मामले में,

(I) अंकीय रुप से चिंहनांकित, यदि उसे अंकीय हस्ताक्षर के अधीन आय की अपनी विवरणी देना इन नियमों के अधीन अपेक्षित हो –

(i) उसके प्रबंध भागीदार द्वारा; और

(ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से, ऐसा प्रबंध भागीदार आवेदन में हस्ताक्षर या सत्यापित करने के योग्य नहीं है, या जहां ऐसा कोई प्रबंध भागीदार नहीं है, उसके किसी भागीदार द्वारा, जो अवयस्क न हो;

(II) किसी अन्य मामले में, अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता के माध्यम से संसूचित करेगा ;

(ड.) व्यक्तियों के संगम के मामले में,

(I) अंकीय रुप से चिन्हनांकित, यदि वह उसके किसी संगम के सदस्य या प्रधान अधिकारी द्वारा अंकीय हस्ताक्षर के अधीन आय की अपनी विवरणी देना इन नियमों के अधीन अपेक्षित हो ; या

(II) किसी अन्य मामले में, अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता के माध्यम से संसूचित करेगा ;

(च) किसी अन्य व्यक्ति के मामले में,-

(I) अंकीय रुप से चिन्हनांकित, यदि वह उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से काम करने के लिए कुछ सक्षम व्यक्ति द्वारा ; या

(II) किसी अन्य मामले में, अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता के माध्यम से संसूचित करेगा ;

उपाबंध 1

उन सुसंगत तथ्यों का विवरण जिनका उस प्रश्न (प्रश्नों) से संबंध है, जिन पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है

....

....

....

(आवेदक)

स्थान.............

तारीख...............(आवेदक)

उपाबंध 2

प्रश्न (प्रश्नों) जिन पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है, की बाबत आवेदक के यथास्थिति, विधि या तथ्यों के निर्वचन को अंतर्विष्ट करते हुए कथन

....

....

....

(आवेदक)

स्थान...........

तारीख...........

प्ररूप सं. 34ङ

[नियम 44ङ देखिए]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2454(1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय अभिप्राप्त करने के लिए प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए अनुसार व्यष्टियों के वर्ग या प्रवर्ग के अंतर्गत आने वाले व्यष्टि द्वारा आवेदन का प्ररूप

(इस प्ररूप को भरने से पहले टिप्पणियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें)

अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी के समक्ष

............का आवेदन संख्यांक

1. आवेदक का पूरा नाम और पता ,...............................

2. टेलीफोन और फैक्स नंबर.ई मेल पता ....

3. प्रास्थिति ....

4. आवेदक पर अधिकारिता रखने वाला
आयुक्त और निर्धारण अधिकारी ....

5. स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यां ....

6. आयुक्त (अपील) या अधिकरण के समक्ष
अपील संख्यांक और अपील की तारीख
[जहां कहीं लागू हो] की विशिष्टियां ....

7. निर्धारण वर्ष, निर्धारण आदेश की तारीख
और वह धारा, जहां लागू हो, जिसके अधीन
निर्धारण अधिकारी द्वारा, मूल आदेश पारित
किया गया था (निर्धारण आदेश और अपीलीय
आदेश की प्रति संलग्न करें) ....

8. अन्तर्वलित विधि या तथ्य का (के) प्रश्न,
जिस (जिन) पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है ....

9. उपर्युक्त प्रश्न (प्रश्नों) से संबद्ध सुसंगत
तथ्यों का विवरण ....

10. पूर्वोक्त प्रश्न के संबंध में, आवेदक के
यथास्थिति, विधि या तथ्यों
के निर्वचन वाला विवरण ....

11. संलग्न दस्तावेजों विवरणों की सूची ....

12. आवेदन के साथ संलग्न पाने वाले के
खाते में देय डिमांड ड्राफ्ट की विशिष्टियां ....

(आवेदक)

सत्यापन

मै................ ………………………………………………………, पुत्र पुत्री पत्नी [पूर्ण नाम स्पष्ट अक्षरों में] श्री .... सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूं कि उपरोक्त और उपाबंध (उपाबंधों) में, जिसके अंतर्गत ऐसे उपाबंध (उपाबंधों) के साथ लगे दस्तावेज भी हैं, जो भी कथन किया गया है, वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है। मैं यह और घोषणा करता करती हूं कि मैं यह आवेदन.....................के रूप में अपनी हैसियत में कर रहा रही हूं और मैं इस आवेदन को (पदनाम) करने और इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं।

मैं यह भी घोषणा करता करती हूं कि वह (वे) प्रश्न, जिस (जिन) पर अग्रिम विनिश्चय अपेक्षित है, मेरे मामले में आय-कर प्राधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है।

आज तारीख ....को सत्यापित किया गया।

....

(आवेदक)

स्थान :.....

टिप्पण:

1. आवेदन अंग्रेजी या हिन्दी में भरा जाएगा।

2. आवेदन का संख्यांक और प्राप्ति का वर्ष अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के कार्यालय में भरा जाएगा।

3. आवेदन के साथ नई दिल्ली में संदेय, अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के पक्ष में लिखा दो हजार पांच सौ भारतीय रुपए का पाने वाले के खाते में देय डिमांड ड्राफ्ट भेजा जाएगा। मद 12 के उत्तर में ड्राफ्ट की विशिष्टियां दी जाएंगी।

4. मद सं. 3 के उत्तर में, आवेदक यह बताएगा कि क्या वह यह कोई व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुंब, फर्म, व्यष्टि-संगम या कंपनी है।

5. मद सं. 8 के संबंध में, प्रश्न वास्तविक या प्रस्तावित संव्यव्हार पर आधारित होगा। अनुमानिक प्रश्न पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. मद सं. 9 के संबंध में, उपाबंध 1 में आवेदक सुसंगत तथ्यों को ब्यौरेवार कथन करेगा । प्रत्येक प्रश्न के संबंध में कर प्रभाव को भी वर्णित किया जाएगा।

7. मद सं. 10 के लिए, उपाबंध 2 में, आवेदक उस प्रश्न (उन प्रश्नों) के संबंध में, जिस पर अग्रिम विनिर्णय चाहा गया है, विधि या तथ्यों के अपने निर्वचन का स्पष्टरूप से उल्लेख करेगा।

8. आवेदन, उससे उपाबद्ध सत्यापन, आवेदन के उपाबंध और उपाबंधों के साथ दिए जाने वाले विवरणों और दस्तावेजों को आय-कर नियम, हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(क) किसी व्यष्टि के मामले में, -

(I) डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित, यदि उसे इन नियमों के अधीन डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षित है

(i) व्यष्टि द्वारा स्वयं; और

(ii) जहां, किसी अपरिहार्य कारण से, व्यष्टि के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, इस संबंध में उसके द्वारा सम्यकत: अधिकृत किसी व्यष्टि द्वारा:

परंतु उप-खंड (ii) में निर्दिष्ट मामले में, आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यष्टि के पास ऐसा करने के लिए व्यष्टि से वैध मुख्तारनामा हो, जो आवेदन से जुड़ा होगा; या

(II) किसी अन्य मामले में अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से सूचित किया गया;

(ख) एक हिंदू अविभक्त कुटुंब के मामले में, -

(I) डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित, यदि इन नियमों के अधीन डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है, -

(i) उसके कर्ता द्वारा; और

(ii) जहां, किसी अपरिहार्य कारण से, कर्ता के लिए ऐसे कुटुंब के किसी अन्य वयस्क सदस्य द्वारा आवेदन पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है; या

(II) किसी अन्य मामले में अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से सूचित किया गया;

(ग) एक कंपनी के मामले में, डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित, -

(i) उसके प्रबंध निदेशक द्वारा, या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबंध निदेशक आवेदन पर हस्ताक्षर और सत्यापन करने में सक्षम नहीं है, या जहां कोई प्रबंध निदेशक नहीं है, उसके किसी निदेशक द्वारा;

(ii) जहां, किसी अपरिहार्य कारण से, प्रबंध निदेशक या निदेशक के लिए इस संबंध में कंपनी द्वारा विधिवत अधिकृत किसी व्यष्टि द्वारा आवेदन पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है:

परंतु उप-खंड (ii) में निर्दिष्ट मामले में, आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यष्टि के पास ऐसा करने के लिए कंपनी से एक वैध मुख्तारनामा है, जो आवेदन से जुड़ा होगा;

(घ) एक फर्म के मामले में,

(I) डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित, यदि इन नियमों के अधीन डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है, -

(i) उसके प्रबंध भागीदार द्वारा, और

(ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबंध भागीदार आवेदन पर हस्ताक्षर और सत्यापन करने में सक्षम नहीं है, या जहां कोई प्रबंध भागीदार नहीं है, उसके किसी भी भागीदार द्वारा, नाबालिग नहीं होने के कारण;

(II) किसी अन्य मामले में अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से सूचित किया गया;

(ङ) व्यष्टियों के एक संघ के मामले में,-

(I) डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित, यदि इन नियमों के अधीन एसोसिएशन के किसी सदस्य या उसके प्रमुख अधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है; या

(II) किसी अन्य मामले में अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से सूचित किया गया;

(च) किसी अन्य व्यष्टि के मामले में,--

(I) डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित, यदि इन नियमों के अधीन उस व्यष्टि द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम किसी व्यष्टि द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है; या

(II) किसी अन्य मामले में अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से सूचित किया गया;

उपाबंध I

उस प्रश्न (उन प्रश्नों) से जिस पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है,

संबद्ध सुसंगत तथ्यों का कयन

..

...

स्थान ....

तारीख ....

....

(आवेदक)

उपाबंध 2

उस प्रश्न (उन प्रश्नों) के संबंध में, जिस पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है आवेदक के, यथास्थिति, विधि और तथ्यों के निर्वचन वाला विवरण

..

..

स्थान :..........................

तारीख ....

....

(आवेदक)

प्ररूप संख्या 34ङक

[देखिए नियम 44ङ]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 245थ (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय अभिप्राप्त करने का प्ररूप

(कृपया इस प्ररूप को भरने से पहले टिप्पणियों को सावधानीपूर्वक पढ़ें)

अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के समक्ष

……………………..की आवेदन संख्या

1. आवेदक का पूरा नाम और पता ....
2. टेलीफोन, फैक्स और ई-मेल पता ....
3. प्रास्थिति ....
4. आवेदक पर अधिकारिता रखने वाला आयुक्त और निर्धारण अधिकारी ....
5. स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक ………………………………
6. आयुक्त (अपील) या अधिकरण के समक्ष अपील संख्यांक और अपील की तारीख की विशिष्टियां, जहां कहीं लागू हो ....
7. निर्धारण वर्ष, निर्धारण आदेश की तारीख और वह धारा, जहां लागू हो, जिसके अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा, मूल आदेश पारित किया गया था (निर्धारण आदेश और अपीलीय आदेश की प्रति संलग्न करें) ....
8. अन्तर्वलित विधि या तथ्य का (के) प्रश्न, जिस पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है ....
9. उपर्युक्त प्रश्न (प्रश्नों) से संबद्ध सुसंगत तथ्यों का विवरण ....
10. उपर्युक्त प्रश्न (प्रश्नों) के संबंध में, आवेदक के यथास्थिति, विधि या तथ्यों के निर्वचन वाला विवरण ....
11. संलग्न दस्तावेजों विवरणों की सूची ....
12. आवेदन के साथ संलग्न पाने वाले के खाते में देय डिमांड ड्राफ्ट की विशिष्टियां ....

....

(आवेदक)

सत्यापन

मै......................(नाम स्पष्ट अक्षरों में) पुत्र/पुत्री/पत्नी...सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हैं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपाबंध(धों) के साथ दस्तावेज भी है में किया गया कथन सही औरपूर्ण है।

मैं यह और घोषणा करता करती हूँ कि मैं............ (पदनाम) की क्षमता में यह आवेदन कर रहा रही हूँ और मैं यह आवेदन करने के लिए सक्षम हूँ। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि वह प्रश्न जिस पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है किसी आय-कर प्राधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष मेरे मामले में लंबित नहीं है

आज .... दिन ....को सत्यापित।

....

....

स्थान............ *(आवेदक)*

टिप्पण:

1. आवेदन चार प्रतियों में अंग्रेजी या हिंदी में भरा जाएगा

2. आवेदन की प्राप्ति की संख्या और तारीख अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के कार्यालय में भरी जाएगी।

3. आवेदन के साथ नई दिल्ली में संदेय अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के पक्ष में आहरित दो हजार पांच सौ भारतीय रुपयों को पाने वाले के खाते में मांग देय ड्राफ्ट संलग्न होगा । ड्राफ्ट की विशिष्टियां मद संख्या 11 के प्रत्युत्तर में दी जानी चाहिए।

4. मद संख्या 3 के प्रत्युत्तर में, आवेदक यह कथन करेगा कि क्या वह व्यष्टि, अविभक्त हिंदू कुटुंब, फर्म, व्यक्तियों का संगम या कंपनी है।

5. मद संख्या 8 के संबंध में, प्रश्न वास्तविक या प्रस्तावित संव्यवहारों पर आधारित होगा (होंगे)। अनुमानिक प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. मद संख्या 9 की बाबत, उपाबंध 1 में, आवेदक सुसंगत तथ्यों का ब्यौरा देगा ।प्रत्येक प्रश्न पर कर प्रभाव का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

7. मद संख्या 10 के लिए उपाबंध 2 में, आवेदक अपने विधि के निर्वचन या ऐसे प्रश्न (प्रश्नों) जिन पर अग्रिम विनिर्णय चाहा गया है, की बाबत तथ्यों को स्पष्ट रुप से वर्णित करेगा।

8. आवेदन, उससे संलग्न सत्यापन, आवेदन और विवरणों के उपाबंधों और उपाबंधों से संलग्न दस्तावेज इस प्रकार से है,-

(क) व्यष्टि के मामले में,-

(I) अंकीय रूप से हस्ताक्षरित, यदि उसे अंकीय हस्ताक्षर के अधीन आय की अपनी विवरणी देना इन नियमों के अधीन अपेक्षित हो –

(i) व्यष्टि स्वयं द्वारा ; और

(ii) जहां, किसी अपिरहार्य कारण से, किसी व्यष्टि के लिए आवेदन में हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, इस संबंध में उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ;

परंतु उपखंड (ii) में निर्दिष्ट मामले में, आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति ऐसा करने के लिए व्यष्टि से विधिमान्य मुख्तारनामा रखता है, जिसे आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा ; या

(II) किसी अन्य मामले में, अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता के माध्यम से संसूचित करेगा ;

(ख) हिंदू अविभक्त कुटुंब के मामले में,-

(I) अंकीय रूप से हस्ताक्षरित, यदि उसे अंकीय हस्ताक्षर के अधीन आय की अपनी विवरणी देना इन नियमों के अधीन अपेक्षित हो –

(i) उसके कर्ता द्वारा ; और

(ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से, कर्ता के लिए आवेदन में हस्ताक्षर करना संभव नहीं है ऐसे परिवार के किसी अन्य वयस्क सदस्य द्वारा ; या

(II) किसी अन्य मामले में, अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता के माध्यम से संसूचित करेगा ;

(ग) कंपनी के मामले में, अंकीय रुप से हस्ताक्षरित,-

(i) उसके प्रबंध निदेशक द्वारा, या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबंध निदेशक आवेदन में हस्ताक्षर और सत्यापन करने के योग्य नहीं हैं, या जहां कोई प्रबंध निदेशक नहीं हैं ; उसके किसी निदेशक द्वारा ;

(ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से, प्रबंध निदेशक या निदेशक के लिए आवेदन में हस्ताक्षर करना संभव नहीं है इस संबंध में कंपनी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा;

परंतु उपखंड (ii) के निर्दिष्ट मामले में, आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति ऐसा करने के लिए कंपनी से विधिपूर्ण मुख्तारनामा रखता है, जिसे आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा ; या

(घ) फर्म के मामले में,

(I) अंकीय रुप से हस्ताक्षरित, यदि उसे अंकीय हस्ताक्षर के अधीन आय की अपनी विवरणी देना इन नियमों के अधीन अपेक्षित हो –

(i) उसके प्रबंध भागीदार द्वारा; और

(ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से, ऐसा प्रबंध भागीदार आवेदन पर हस्ताक्षर या सत्यापन करने के योग्य नहीं है, या जहां ऐसा कोई प्रबंध भागीदार नहीं है, उसके किसी भागीदार द्वारा, जो अवयस्क न हो ;

(II) किसी अन्य मामले में, अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता के माध्यम से संसूचित करेगा ;

(ड.) व्यक्तियों के संगम के मामले में,

(I) अंकीय रुप से हस्ताक्षरित, यदि वह उसके किसी संगम के सदस्य या प्रधान अधिकारी द्वारा अंकीय हस्ताक्षर के अधीन आय की अपनी विवरणी देना इन नियमों के अधीन अपेक्षित हो ; या

(II) किसी अन्य मामले में, अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता के माध्यम से संसूचित करेगा ;

(च) किसी अन्य व्यक्ति के मामले में,-

(I) अंकीय रुप से हस्ताक्षरित, यदि उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से काम करने के लिए कुछ सक्षम व्यक्ति द्वारा अंकीय हस्ताक्षर के अधीन आय की अपनी विवरणी देना इन नियमों के अधीन अपेक्षित हो; या

(II) किसी अन्य मामले में, अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता के माध्यम से संसूचित करेगा ;

उपाबंध 1

उन सुसंगत तथ्यों का कथन जिनका उस प्रश्न (प्रश्नों) से संबंध है, जिन पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………

(आवेदक)

स्थान…………

तारीख……………

उपाबंध 2

प्रश्न (प्रश्नों) जिन पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है, की बाबत आवेदक के यथास्थिति, विधि या तथ्यों के निर्वचन को अंतर्विष्ट करते हुए कथन

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

स्थान…………

तारीख……………

…………………………

(आवेदक)"।

[अधिसूचना सं. 49/2022/फा. सं. 370142/6/2022-टीपीएल]

शेफाली सिंह, अवर सचिव, कर नीति और विधान

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 325(अ), तारीख 29 अप्रैल, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।